सीएसआईआर-भारतीय समवेत औषध संस्थान कैनाल रोड.जम्म् CSIR-INDIAN INSTITUTE OF INTEGRATIVE MEDICINE CANAL ROAD, JAMMU

संख्या/No.4/179/2025-स्थापना/Estt.

दिनांक/Dated: 08.12.2025

परिपन्न/CIRCULAR

विषय/Subject:- सेवा विषयों से संबंधित प्रतिवेदन/शिकायतों के संबंध में।

Regarding representations/complaints relating to service matters.

सीएसआईआर द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्तरों के परिषद अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि वे कर्मचारी अपने सेवा-संबंधी प्रतिवेदन/शिकायतें उच्च अधिकारियों/वरिष्ठ अधिकारियों को सीधे न भेजें तथा निर्धारित प्रस्तुति-माध्यम का पालन करें।

CSIR has issued instructions from time to time for the Council Officials at various levels to desist from making direct representations/grievances on service matters to senior officers/to higher dignitaries at CSIR Hqs. without exhausting the prescribed channel of submission.

इस संबंध में निर्देश जारी होने के बावजूद यह देखा गया है कि कुछ कर्मचारी अपने प्रतिवेदन/शिकायतें सीध सीएसआईआर मुख्यालय के विषठ अधिकारियों/उच्च पदाधिकारियों को भेज रहे हैं,जो कि निर्धारित प्रस्तुति-प्रक्रिया का उल्लंघन है और DoPT के निर्देशों (सीएसआईआर पत्र संख्या 5-1(213)/2014-PD दिनांक-23.12.2022) के विपरीत है। Despite of having instructions in this regard, it has been observed that some employees of the Institute submits their representations/grievances on service matters directly to senior officers/to higher dignitaries at CSIR Hqr. exhausting the prescribed channel of submission of representation which is in violation of the DoPT instructions notified vide CSIR letter No.5-1(213)/2014-PD dated 23.12.2022.

अत: सभी कार्मिकों को सलाह दी जाती है कि वे सेवा-संबंधी प्रतिवेदन/शिकायतें संस्थान स्तर पर उपलब्ध सभी विकल्पों/निवारण-उपायों को अपनाए बिना सीधे उच्च अधिकारियों को न भेजें।

All the staff members are therefore, advised to desist from making direct representations/grievances on service matter directly to higher authorities without exhausting the remedies available at the Institute level.

निर्देशों का पालन न करने पर उनके विरुद्ध नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। Failure to comply the instructions shall be liable for disciplinary action as per rules.

अनुभाग अधिकारी / SECTION OFFICER

प्रतिलिपि/Copy to:-

1. निदेशक के निजी सहायक/PA to Director.

2. प्रशासन नियंत्रक अधिकारी के निजी सहायक/PA to CoA.

3. Seio11 422/Notice Board

- 3. सभी प्रभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि इस्स कर्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को उनके अधीन कार्यरत समस्त कार्मिकों के संज्ञान में लाया जाए।/All HoDs/Sectional Heads with the request to bring the content of this OM to the notice of the staff working under them.
- 4. प्रधान,सीएसआईआर-भा.स.औ.सं.(शाखा),श्रीनगर/Head, CSIR-IIIM (Br.), Srinagar
- 5. बिल अनुभाग/Bill Section.
- 6. लेखा अनुभाग/Accounts Section
- 7. सूचना पट/Notice Board (3 copies).
- 8. वेबसाईट प्रभारी-भा.स.औ.सं. वेबसाईट पर इस कार्यालय ज्ञापन को अपलोड करने हेतु/Incharge website for uploading OM in IIIM website